118

COURT FEE 5 RS. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES — COURT FEE 10 RS. INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

CF Rs 15/-

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर R672/II/06

प्र.क्र. /06 निगरानी

वीरन उर्फ वीरेन्द्र पुत्र राजाराम कुशवाह
निवासी-ग्राम इंदरगढ़ तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया ------- आवेदक

बनाम

1-कंगलो पुत्र रामदास कुशवाह
निवासी-ग्राम भदौना तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया
2-रामकलो पुत्री बिरखा कुशवाह
निवासी-इंदरगढ़ तहसील सेवढ़ा जिला
दतिया -------- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 9.1.06 जो श्री एम.के. वार्ष्णेय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वा. द्वारा प्र.क्र. 30/03-04 अपील में पारित किया जो अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के प्र.क्र. 22/अपील /02-03 में दिनांक 28.8.03 को पारित किया था तथा नायब तहसीलदार इंदरगढ़ द्वारा प्र.क्र. 7/अ-6 /01-02 में दिनांक 24.10.02 को पारित किया था जो पंजी क्र. 1 पर पारित आदेश दिनांक 19.10.01 को निरस्त किया था ।

श्रीमानजी,

प्रकरण में निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

1/ यहकि, धनिया बेवा बिरखा का एक खाते में हिस्सा ग्राम इंदरगढ़ परगना सेवढा जिला दतिया में था उसके कोई संतान नही थी उसके दो पुत्रिया थी जिनके नाम रामकलो एवं शांति था शांति की मृत्यु हो चुकी थी उसकी पुत्र कंगलो है तथा रामकलो जीवित है उसका पुत्र वीरन है धनिया बाई की मृत्यु होने पर कंगलो एवं रामकली का नामातरंण पंजी परहो चुका है उसके पश्चात वीरन ने एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय ने धारा 5 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत पुनर्विलोकन की अनुमति उक्त नामांतरण निरस्त कर वीरन के वसीयत के आधार नामांतरण कर दिया है जिसके विरूद्ध एस.डी.ओ. सेवढ़ा के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R ~~627~~ 672-II/06 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मेरे समक्ष आवेदक वीरन, अनावेदक-२ रामकली, एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं ने समक्ष में उपस्थित होकर राजीनामे के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया. निवेदन स्वीकार किया जाकर, राजीनामे के आधार पर यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	